



Neutral Citation No. - 2026:AHC:7754

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 700 वर्ष 2026

आरती आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : शिव कुमार केसरी

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव कुमार केसरी का संक्षिप्त कार्यभार संभाल रहे श्री आनंद कुमार सिंह, अधिवक्ता, तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या 348 वर्ष 2025, धारा 103(1), 238, 61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना जहांगीराबाद, जिला बुलंदशहर में, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत की मांग की है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि समान स्थिति में रहे सह-अभियुक्त देवेंद्र को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 31657 वर्ष 2025 में पारित आदेश के द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 3.7.2025 से जेल में बंद है और उसके पक्ष में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि आवेदक की भूमिका उस सह-अभियुक्त की भूमिका के समान है जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, अतः वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी है।
5. जमानत की प्रार्थना का विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा बलपूर्वक विरोध किया गया है। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समानता तथा आवेदक के आपराधिक इतिहास न होने के उक्त तथ्यात्मक पहलुओं का उनके द्वारा खंडन नहीं किया गया है।
6. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों, अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य पर विचार करते हुए, तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परस राम विष्णोई बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक, MANU/SCOR/22410/2021 के मामले में पारित निर्णय, इस न्यायालय द्वारा नन्हा पुत्र नब्हन खां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938 के मामले में पारित निर्णय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, 2022 SCC OnLine SC 825 में पारित निर्णय को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय प्रथम दृष्टया यह मत है कि आवेदक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ने समानता के आधार पर जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक आरती, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उसी राशि में दो प्रतिभूतियां संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगी/उन्हें डराएगी नहीं।
- (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदक एवं प्रतिभूतियों की पहचान, स्थिति एवं निवास प्रमाण का संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापन किया जाए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

13 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।